संख्या: 37/2025/351/छप्पन-2025-02/2013 टी0सी0-1

प्रेषक,

अभिनव कुमार चौरसिया,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ, दिनांक: 27 मार्च, 2025

विषय: जनपद चित्रकूट स्थित हवाई पट्टी के विस्तारीकरण की परियोजना के पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति तथा धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 390/ना0उ0नि0/ए0एफ0-105(बी)/2025, दिनांक 05 मार्च, 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चित्रकूट हवाई पट्टी के विस्तारीकरण परियोजना हेतु पुनरीक्षित लागत रू0 10498.83 लाख (रूपए एक अरब चार करोड़ अट्ठान्नबे लाख तिरासी हजार मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यदायी संस्था राइट्स लि0 को भुगतान हेतु रू0 11,71,00,800/- (रूपए ग्यारह करोड़ इकहत्तर लाख आठ सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- निदेशालय के उक्त पत्र दिनांक 05 मार्च, 2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि शासनादेश संख्या-42/2015/899/छप्पन-2015-2/2013 दिनांक 04 जून, 2015 द्वारा जनपद चित्रकूट स्थित हवाई पट्टी के विस्तारीकरण हेतु आगणन/डी0पी0आर0 लागत रू0 9266.19 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त की धनराशि रू0 1188.00 लाख अवमुक्त की गई थी। परियोजना लागत रू0 9266.19 लाख के सापेक्ष अद्यतन रू0 88,02,88,050/- लाख (95%) की धनराशि स्वीकृत/अवमुक्त की जा चुकी है, जिसका विवरण निम्नवत है :-

शासनादेश संख्या एवं दिनांक	**स्वीकृत धनराशि (रूपए)**
42/2015/899/छप्पन-2015-2/2013 दिनांक 04 जून, 2015	11,88,00,000/-
49/2016/676/छप्पन-2016-2/2013 दिनांक 04 जुलाई, 2016	13,36,53,000/-
29/2017/233/छप्पन-2017-2/2013 दिनांक 24 मार्च, 2017	24,26,12,370/-
81/2022/1381/छप्पन-2022-56-1099-184-2019 दिनांक 06 अक्टूबर, 2022	19,98,98,880/-
86/2023/1111/छप्पन-2023-02/2013 दिनांक 23 अगस्त, 2023	18,53,23,800/-
कुल स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि	**88,02,88,050/-**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

व्यय वित्त समिति द्वारा पुनरीक्षण हेतु प्रस्तावित लागत रू0 10682.08 लाख के सापेक्ष रू0 10498.83 लाख पर अनुमोदन प्रदान किया गया है। परियोजना हेतु कार्यदायी संस्था राइट्स लि0 के पास धनराशि उपलब्ध न होने के कारण कान्ट्रैक्टर द्वारा साईट पर निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया है। अतएव अनुमोदित लागत रू0 10498.83 लाख में से अन्तिम किश्त की 5% धनराशि रू0 5,24,94,150/- को रोकते हुए धनराशि रू0 99,73,88,850/- में से पूर्व में अवमुक्त धनराशि रू0 88,02,88,050/- के अन्तर की धनराशि रू0 11,71,00,800/- (रूपए ग्यारह करोड़ इकहत्तर लाख आठ सौ मात्र) अवमुक्त किए जाने का प्रस्ताव निदेशालय द्वारा किया गया है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में चित्रकूट हवाई पट्टी के विस्तारीकरण की परियोजना हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा आंकलित लागत रू0 10498.83 लाख (रूपए एक अरब चार करोड़ अट्ठान्नबे लाख तिरासी हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए पुनरीक्षित लागत रू0 10498.83 लाख में से अन्तिम किश्त की 5% धनराशि रू0 5,24,94,150 को रोकते हुए धनराशि रू0 99,73,88,850/- में से पूर्व में अवमुक्त धनराशि रू0 88,02,88,050/- के अन्तर की धनराशि रू0 11,71,00,800/- (रूपए ग्यारह करोड़ इकहत्तर लाख आठ सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति जिलाधिकारी, चित्रकूट के निवर्तन पर रखे जाने हेतु अवमुक्त किए जाने के की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(4) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, नागरिक उड्डयन बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है। निदेशक, नागरिक उड्डयन व्यय वित्त समिति द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 के शासनादेश दिनांक 21 नवम्बर, 2017 के अन्तर्गत उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रायोजना को निर्माण अवधि में पूर्ण कर लिया जाय। भविष्य में प्रायोजना कोई भी पुनरीक्षण स्वीकार्य नहीं होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(9) प्रशासकीय विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(10) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप प्रशासकीय विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण / सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(11) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(12) प्रयोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यकम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(13) आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

(14) उक्त स्वीकृति धनराशि के आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/ आदेशों/प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

(15) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(16) वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा रही धनराशि के सापेक्ष यदि कोई बचत होती है, तो बचत की धनराशि जिलाधिकारी, चित्रकूट द्वारा राजकोष में जमा कराई जाएगी।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 11,71,00,800/- (रूपए ग्यारह करोड़ इकहत्तर लाख आठ सौ मात्र) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा तत्काल आवंटित कर जिलाधिकारी, चित्रकूट के निर्वतन पर रखी जायेगी और जिलाधिकारी, चित्रकूट द्वारा सम्बन्धित पक्ष को नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

5- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-38 वित्तीय वर्ष 2024-25 के पूंजी लेखा लेखा शीर्ष "5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24-वृहत् निर्माण कार्य" से वहन किया जाएगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या: ई-7-428/दस-2024-2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 37/2025/351(1)/छप्पन-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार ई0एस0।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-।, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3- आयुक्त, चित्रकूट धाम मण्डल।
4- जिलाधिकारी, चित्रकूट।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, चित्रकूट।
6- महाप्रबन्धक राइट्स लि0 (एयरपोर्ट डिविजन) गुड़गांव, हरियाणा।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग -7 ।
8- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।